संख्या:208/2016/678जे0/22-3-16-96एचआरसी/2007

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 07 जून, 2016***

विषय: जिला कारागार, लखीमपुर खीरी के विचाराधीन बंदी चुनीर पठान पुत्र श्री कल्लू पठान की दिनांक 01-06-2007 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के निर्देश संख्या-9646/24/46/07-08-जेसीडी/डीबी-I, दिनांक 10-11-2015 के अनुपालन में मृतक बंदी के आश्रित/निकटस्थ उत्तराधिकारी को रू0-5,00,000/-(रू0 पॉच लाख मात्र) की अन्तरिम राहत के भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर महानिरीक्षक(प्र0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-11086/मा0अनु0(3)/96-2007, दिनांक 11-04-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, लखीमपुर खीरी के विचाराधीन बंदी चुनीर पठान पुत्र श्री कल्लू पठान के आश्रित/निकटस्थ सम्बन्धी को अंतरिम राहत के रूप में रू0-5,00,000/-(रू0 पॉच लाख मात्र) की धनराशि के भुगतान की प्रशासकीय एवं वित्तीय शासनादेश संख्या-107/2016/08जे0/22-3-16-96एचआरसी/2007, दिनांक 30-03-2016 द्वारा प्रदान की गयी थी, किन्तु सम्बन्धित लेखा शीर्षक मद में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण स्वीकृति धनराशि का आवंटन वित्तीय वर्ष-2015-16 में नहीं किया जा सका।

2- सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-107/2016/08जे0/22-3-16-96एचआरसी/2007, दिनांक 30-03-2016 द्वारा प्रदान की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को निरस्त करते हुए श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 में जिला कारागार, लखीमपुर खीरी के विचाराधीन बंदी चुनीर पठान पुत्र श्री कल्लू पठान, निवासी-गोपालपुर, थाना-नीमगांव, जनपद-लखीमपुर खीरी की दिनांक 01-06-2007 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली की संस्तुति दिनांक 10-11-2015 के अनुपालन में मृतक बंदी के आश्रित/निकटस्थ उत्तराधिकारी को अंतरिम राहत के रूप में रू0-5,00,000/- (रू0 पॉच लाख मात्र) की धनराशि के भुगतान की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 में इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि मुआवजे के समतुल्य धनराशि प्रकरण में सी0बी0सी0आई0डी0 जॉच रिपोर्ट में दोषी पायें गये कारागार एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूलकर राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

3- उक्त के निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 101-03 समस्त करागार के मानक मद संख्या-42 अन्य व्यय (मतदेय) के नामें डाला जायेगा तथा उपलब्ध प्राविधान से वहन किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का भुगतान/उपयोग मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा केस में पारित आदेश दिनांक 10-11-2015 में विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

--2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- प्रश्नगत प्रकरण में वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासन के संगत आदेशो का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा जहां आवश्यक हो, वहाँ सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

6- महानिरीक्षक कारागार, उ0प्र0 द्वारा उक्त धनराशि का भुगतान सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी के माध्यम से यथाशीघ्र सम्बन्धित को कराते हुए उसकी पुष्टिकृत सूचना मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग/शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ए-2-36/दस-2016, दिनांक 16 मार्च, 2016 की सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या:208/2016/678जे0(1)/22-3-16-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी/अधीक्षक, जिला कारागार, लखीमपुर खीरी को इस आशय से प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि का भुगतान मृतक बंदी के आश्रित/निकटस्थ उत्तराधिकारी को एक सप्ताह के अन्दर कराते हुये भुगतान का साक्ष्य/पुष्टिकृत सूचना मा0 आयोग/शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य कोषाधिकारी, लखीमपुर खीरी।
5. कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4
6. अनुसचिव, गृह (मानवाधिकार) अनुभाग-1 को उनके पत्रांक-92आईआरएन/छः-मा0-1-15-2(179)/08, दिनांक 30-12-2015 के संदर्भ में।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in